



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 मार्च, 2010
फाल्गुन 28, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 400/79-वि-1-10-1(क)-11-2010
लखनऊ, 19 मार्च, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पर दिनांक 18 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 संन 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत सरकार के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

परिभाषाएं

7- जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "मण्डलायुक्त" का तात्पर्य ऐसे मण्डलायुक्त से है जिसकी अधिकारिता में संस्था स्थित है और इसके अन्तर्गत अपर आयुक्त भी हैं;

(ख) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में स्थित व किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और जिसके अन्तर्गत कोई अनाथालय या कोई बोर्डिंग या कोई हॉस्टल या कोई ट्यूटोरियल संस्था या कोई कोचिंग संस्था या उससे सम्बद्ध कोई अन्य परिसर भी है;

(ग) "संस्था का प्रधान" का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, संक्रयाध्यक्ष, किसी संस्था के निदेशक या प्राचार्य या संस्था के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति से है;

(घ) "रैगिंग" का तात्पर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसी कृत्य का सम्पादन करने, के लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश करने, दबाव डालने से है जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो या जिससे वह उपहास, अभिन्नास, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभिन्नास देने, अन्यायपूर्ण नियन्त्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से है;

(ङ) "विद्यार्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो किसी शैक्षणिक संस्था में अपना अध्ययन कर रहा हो/रही हो।

3-किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग प्रतिषिद्ध है।

रैगिंग का प्रतिषेध

छात्र का निष्कासन/ शिकायत दर्ज किया जाना

4-(1) जब कभी कोई छात्र या यथार्थिणी माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई अध्यापक रैगिंग के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्था के प्रधान को लिखित रूप में शिकायत करे तो सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था का प्रधान शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जाँच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया यह सत्य पाया जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत को अप्रतार कार्यवाही हेतु तत्काल भेज देगा।

(2) जहाँ शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा जाँच किये जाने पर यह सिद्ध हो जाये कि उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शिकायत में प्रथमदृष्टया कोई तथ्य नहीं है वहाँ शिकायतकर्ता को लिखित रूप में इस तथ्य से अवगत करा देगा।

रैगिंग के लिए शांति

5-जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुर्भेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

छात्र का विवर्जन

6-धारा 5 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।

अपील

7-धारा 4 के अधीन निष्कासित या धारा 6 के अधीन विवर्जित कोई छात्र सम्बन्धित अपील प्रभारी को आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित रीति से अपील कर सकता है और ऐसी अपील में अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

8-माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल या विद्यालय के मामले में मण्डलायुक्त, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के मामले में सम्बद्ध विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और किसी विश्वविद्यालय के मामले में कुलाधिपति धारा 4 के अधीन किसी छात्र के निष्कासन आदेश या धारा 6 के अधीन विचर्जन आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी होंगे।

अपील प्राधिकारी

9-इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमन के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात से संगत होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

10-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

11-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों को दूर किया जाना

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् प्रशासक राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

रैगिंग एक मानवीय उत्पीड़न का कृत्य है। यह शैक्षणिक संस्थाओं में सर्वत्र व्याप्त है। वर्तमान परिदृश्य में रैगिंग सभ्य समाज में एक अभिशाप है। कतिपय राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और असम द्वारा विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं में रैगिंग के निवारण के लिए पहले ही विधि बना ली गयी है। इस राज्य में रैगिंग ने अपने निकृष्टतम रूप में सिर उठा रखा है और उसे कुचलना आवश्यक हो गया है। अतएव, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थाओं को रैगिंग के रूप में सामाजिक अन्धकार, मानसिक, शारीरिक और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर उक्त शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को प्रतिषिद्ध करने हेतु प्रावधान किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 400(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)-11-2010

Dated Lucknow, March 19, 2010

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaiksharik Sansthaon mein Ragging Ka Pratishedh Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 18, 2010.